

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—95/2022 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-दादर, (वेस्ट), मुम्बई-400028 तथा शाखा कार्यालय-यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं मंजिल, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र यादव प्राधिकृत अधिकारी।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री काना राम पुत्र श्री गोपाल राम पता-53, शिव मन्दिर के पास, सरदारपुरा, रावतसर, हनुमानगढ़, (राज.)-335524 एवं मार्फत पता-गजानन्द फैशन हब, रामदेव मन्दिर के पास, मेन मार्केट, रावतसर, हनुमानगढ़, (राज0)-335524
1. श्रीमती सन्तोष पत्नि श्री गोपाल राम पता-53, शिव मन्दिर के पास, सरदारपुरा, रावतसर, जिला हनुमानगढ़, (राज0)---335524।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:—01.02.2023

प्रार्थी असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ रूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई-400028 तथा एक शाखा कार्यालय यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 पर स्थित है। श्री वीरेन्द्र यादव उक्त कम्पनी में प्राधिकृत अधिकारी है जिन्हें कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, प्लीडिंग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक में प्रार्थना पत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।

प्रार्थी असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री संतोष भाटी वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कम्पनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने बजाज हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड से जरिये ऋण करार के द्वारा 5,27,451/-रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे आवासीय प्लॉट/पट्टा नम्बर 3, सरदारपुरा खालसा, शिव मन्दिर के पास, रावतसर, हनुमानगढ़, (राज0) स्थित है जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 25.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

अप्रार्थना का अणु संरक्षण संख्या HAKOR190247286 को सर्वप्रथम पुनः अणुबलना कम्पनी राजाज हाइड्रोजन फार्मिंग लिमिटेड द्वारा अप्रार्थना के उक्त अणु संरक्षण को बकाया अर्णी वसूली हेतु मग आईट जस्टिस और इन्फोर्स के अधिकारों सहित प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय आर्थिकता का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित उपरतन अधिनियम 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जस्टिजे असाईनमेंट एपीमेंट निम्नंक 30 जून 2021 के दस्तावेज़िग कर दिना है।

प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थना के अणु संरक्षण नम्बर HAKOR190247286 में कुल 6.8133125 / - कपडे (अडरेस एड लैटर द्वारा) प्रार्थी संरक्षक शीत सी इकतीस कपडे पन्नीस शीत मग) वकालत रक्षण व काल निम्नंक 26 / 11 / 2021 तक शेष व देग निकलने है की मग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नंक 29 / 11 / 2021 को एक मग नोटिस भी जस्टिजे एनिररुहे ए सी इाक के माध्यम से अप्रार्थना को उक्तक ज्ञात वती पर प्रेषित क्रिग मग लगर एकत नोटिस को दो मुख अपरवार कभार हिन्दी में प्रतकाल व अतीकी में दी इतिकरण एअरदेश में निम्नंक 03 / 01 / 2022 को प्रकशित भी करवाया मग, परन्तु उक्त धारा 13(2) के नोटिस की प्रेषिग व जानकारी के परवात भी अप्रार्थना द्वारा देग शेष को भुरतान प्रार्थी कम्पनी को नही जिया मग है।

अप्रार्थना द्वारा देग अणु शेषि का भुरतान वादतूर मग के प्रार्थी कम्पनी को नही करने पर उक्त एअर के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुद्ध सम्पति वा कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देग अणु शेषि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एअर की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुद्ध वसक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता रिजये जाने के आदेश परमावे जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और परवाली का महत्ता से अवलोकन किया। परवाली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थना द्वारा प्रार्थी कम्पनी को अणु शेषि का भुरतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थना को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके परवात भी अप्रार्थना द्वारा अणु शेषि की शर्तों के मुताबिक अणु शेषि का भुरतान प्रार्थी कम्पनी को नही करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रवृत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विरवास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी आवासीय प्लॉट / पट्टा नम्बर 3, सरदारपुरा खालसा, शिव मन्दिर के पास, शारदसर, हनुमानगढ़, (राज0) स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 4387 वर्गफीट यानि 407.71 वर्गमीटर है, जो कि श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री गोपाल राम के स्वामित्व की है, जिसका भौतिक कब्जा जस्टिजे पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को वाहे अनुसार पुलिस सहायता सहजित पुलिस धारा के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराई जावे। परवाली नदर से कम की जाकर रीजिल टकर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/02/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
दिना, मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़